

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2582
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 9 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु लक्ष्य

2582. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और इस्तेमाल को ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है/निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्र सरकार के कार्यालयों के कितने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे कार्यालयों में कितने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित है?

उत्तर

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन(एक्सईवी) बाजार विकास और इसके विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करने के लिए सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से दो वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए ₹795 करोड़ परिव्यय के साथ फेम इंडिया स्कीम [भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] आरंभ की, जिसे आगे दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के माध्यम से डीलर स्तर पर वाहन की खरीद के समय अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में एक्सईवी के क्रेताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना में उपलब्ध मांग प्रोत्साहनों का ब्यौरा स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। सरकार द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत बल दिए जाने वाले चार क्षेत्रों नामतः प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी मंच/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना के अंतर्गत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं का निधियन भी किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा आरंभ की गई कुछ मुख्य पहलों का ब्यौरा **अनुबंध - क** में है।

(ख) और (ग): सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

तथापि, विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का एक संयुक्त उद्यम, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) अपने प्रभावी मांग प्रयास के माध्यम से उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए विद्यमान पट्टोल और डीजल वाहनों को प्रतिस्थापित करने के लिए पट्टे/प्रत्यक्ष खरीद आधार पर सरकारी संस्थाओं को इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करा रहा है। ईईएसएल ने सूचित किया है कि आज की तिथि के अनुसार उन्होंने दिल्ली एनसीआर में विभिन्न सरकारी संगठनों को 150 ई-कारों का सफलतापूर्वक वितरण किया है। ईईएसएल द्वारा वितरित की गई सभी ई-कारें प्रचालन में हैं सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग की जा रही हैं।

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा आरंभ की गई कुछ मुख्य पहलें

(क) कराधान उपाय

1. नई जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों को पारंपरिक वाहनों के लिए 22 प्रतिशत तक उपकर के साथ 28 प्रतिशत जीएसटी की तुलना में 12 प्रतिशत जीएसटी दर (उपकर के बिना) के निचले वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कलपुर्जों पर मूल उत्पाद शुल्क (बीसीडी) से पूर्ण छूट भी उपलब्ध कराई गई है:-

(क) बैटरी पैक

(ख) बैटरी चार्जर

(ग) एसी अथवा डीसी मोटर

(घ) एसी अथवा डीसी मोटर नियंत्रक

2. ईंधन सैल वाहन के लिए कर की दर को 28 प्रतिशत की उच्चतर दर से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावना को बढ़ाने के लिए लिथियम ऑयन बैटरियों पर कर की दर को 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) अनुसंधान एवं विकास प्रयास

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि चार (4) अनुसंधान समूह (इसरो, सीएसआईआर, एआरसीआई और आईआईटी मुंबई) लिथियम ऑयन बैटरी प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान कर रहे हैं। उन्हें निम्न लागत वाली लिथियम ऑयन बैटरी और वैकल्पिक बैटरी के लिए सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

5. इसरो ने इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लिथियम ऑयन सैलों से संबंधित अपेक्षित प्रौद्योगिकी विकसित की है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग हेतु भारतीय उद्योगों को लिथियम ऑयन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) किया है।

6. फेम स्कीम के बल दिए जाने वाले क्षेत्र प्रौद्योगिकी मंच (टीपीईएम) के अंतर्गत सरकार की इस स्कीम के तहत (i) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाई-पावर डीसी चार्जर्स की डिजाइनिंग; (ii) चार्जिंग स्टेशन के लिए एक बाइडारेक्शनल इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण की डिजाइनिंग; (iii) भारतीय दशाओं में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के लिए ड्राइविंग साइकल सुनिश्चित करना/विकसित करना; (iv) भारतीय दशाओं में वास्तविक ड्राइव साइकल के आधार पर ई-दुपहियों और ई-तिपहियों के लिए नॉन-परमानेंट मैग्नेट मोटर ड्राइव का डिजाइन और विकास; (v) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्विचड रिलक्टन्स मोटर का विकास, और (vi) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सिंग्रनस मोटर का विकास, से संबंधित 06 परियोजनाएं अनुमोदित और मंजूर की गई हैं।

7. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सूचित किया है कि वे हाइड्रोजन और ईंधन सैलों सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम की सहायता कर रहे हैं।

(ग) गैर-राजकोषीय उपाय

8. विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सेवा के रूप में बिजली की बिक्री की अनुमति दी है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।

9. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरी नम्बर प्लेट लगाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को टोल पार्किंग शुल्क, परमिटों, ट्रैफिक राशनिंग आदि के छूट जैसे प्रोत्साहन उपलब्ध कराना होगा।

(घ) प्रभावी मांग प्रयास

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने सूचित किया है कि उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक कारों की प्रापण प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और मैसर्स टाटा मोटर्स (5050 कारें) और मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. (4950 कारें) को लेटर ऑफ अवाईस (एलओए) जारी किया है। आगे यह सूचित किया गया है कि इन कारों को पट्टे पर/ एकमुश्त खरीद आधार पर सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
